पत्र संख्या-1/2025/बी-1-156/दस-2024-25

प्रेषक,

मिनिस्ती एस.,
सचिव,
वित्त विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 21 जनवरी, 2025

विषयः SNA-SPARSH का क्रियान्वयन।

महोदय,

आप अवगत हैं कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 13 जुलाई, 2023 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही SNA-SPARSH प्रणाली के माध्यम से की जायेगी। इस हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक स्टेट लिंक्ड स्कीम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कानपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में खाता खुलवाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के "इन्टीग्रेटेड फाईनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम" (IFMS), केन्द्र सरकार के प्लेटफॉर्म "पब्लिक फाईनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम" (PFMS) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पोर्टल "ई-कुबेर" के मध्य इन्टीग्रेशन की कार्यवाही अंतिम चरण में है। इस कार्यवाही के पूर्ण होते ही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की समस्त स्टेट लिंक्ड स्कीम्स (SLS) को SNA-SPARSH प्रणाली पर ऑनबोर्ड किया जाना होगा। ऐसी केन्द्र प्रायोजित योजनायें जिन्हें, SNA-SPARSH प्रणाली पर ऑनबोर्ड किया जाना है, की सूची वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 04 अक्टूबर, 2024 में दी गयी है जो इस शासनादेश के संलग्नक-1 पर स्थित है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संबंधित विभागों द्वारा निम्नलिखित कार्यवाहियाँ तत्काल पूर्ण करा ली जायें:-

(1) IFMS के SNA-SPARSH मॉड्यूल पर स्टेट स्कीम मैनेजर (SSM) के पंजीकरण हेतु इस शासनादेश के संलग्नक-2 पर स्थित प्रारूप पर, अंकित विवरण भरकर कोषागार निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये। पंजीकृत स्टेट स्कीम मैनेजर द्वारा SNA-SPARSH मॉड्यूल पर स्टेट नोडल एजेन्सी (SNA) हेतु यूजर आई0डी0 बनाया जायेगा तथा स्टेट नोडल एजेन्सी द्वारा इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी (IA) हेतु यूजर आई0डी0 बनाये जायेंगे।

(2) SNA-SPARSH प्रणाली के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही हेतु राज्य स्तर पर साईबर ट्रेजरी का गठन किया गया है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान से संबंधित देयक साईबर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

ट्रेजरी को ऑनलाईन अग्रेषित किये जाने हेतु संबंधित विभाग द्वारा घोषित आहरण एवं वितरण अधिकारी के डी0डी0ओ0 कोड को साईबर ट्रेजरी से लिंक किये जाने का प्रस्ताव वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को प्रेषित किया जाय। प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 द्वारा तत्संबंधी आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(3) संप्रति विभागीय अनुदानों में, केन्द्र प्रायोजित योजनओं के केन्द्रांश तथा राज्यांश के लिये पृथक-पृथक लेखाशीर्षों में प्रावधान कराये गये हैं। SNA-SPARSH प्रणाली के अन्तर्गत, प्रत्येक स्टेट लिंक्ड स्कीम हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की व्यवस्था समेकित रूप से एक ही लेखाशीर्ष में करायी जानी है। अतः, समस्त प्रशासकीय विभाग स्टेट लिंक्ड स्कीम्स के लिये राज्यांश में करायी गयी बजट व्यवस्था के सापेक्ष अवशेष धनराशि पुनर्विनियोग द्वारा केन्द्रांश की मद में संक्रमित कराने हेतु पुनर्विनियोग के प्रस्ताव प्रपत्र बी0एम0-9 पर वित्त विभाग की सहमति हेतु उपलब्ध करायें।

(4) यदि किसी विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही किसी केन्द्र प्रायोजित योजना की स्टेट लिंक्ड स्कीम हेतु केन्द्रांश के लिये Mother Sanction निर्गत कर दी गयी है, तो संबंधित प्रशासकीय विभाग, Mother Sanction की धनराशि तथा निर्धारित अनुपात में राज्यांश सहित वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करा लें ताकि योजना की ऑनबोर्डिंग हो जाने पर विभिन्न स्तरों पर बजट आवंटन (Limit Allocation) तत्परता से किया जा सके।

(5) संलग्नक-1 पर सूची में उल्लिखित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में बजट व्यवस्था संबंधित विभागीय अनुदान के अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश हेतु पृथक-पृथक लेखाशीर्षों में कराये जाने के स्थान पर एक ही लेखाशीर्ष में करायी जाय तथा लेखाशीर्ष के नीचे कोष्ठक में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात अंकित किया जाय।

3. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

मिनिस्ती एस.
सचिव,वित्त

<u>प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
3. समस्त विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक – 1

भारत सरकार के पत्र दिनाँक 04 अक्टूबर, 2024 के साथ संलग्न सूची

Revised list of 28 Centrally Sponsored Schemes to be Implemented in 21 States under SNA SPARSH model			
Sl. No.	Ministry/Department	Name of the Scheme	States
1	Department of Higher Education	Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA)	1. Rajasthan 2. Karnataka 3. Odisha 4. *Telangana* 5. Jharkhand 6. Chhattisgarh 7. Gujarat 8. Andhra Pradesh 9. Bihar 10. Assam 11. Madhya Pradesh 12. Maharashtra 13. West Bengal **14. Punjab** 15. Tamil Nadu *16. Uttar Pradesh* 17. Himachal Pradesh 18. Haryana 19. Uttarakhand 20. Kerala **21. Goa**
2	Department of Drinking Water and Sanitation	Swachh Bharat Abhiyan (Gramin)	
3		Jal Jeevan Mission (JJM)/National Rural Drinking Water Mission	
4	Department of Fisheries	Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)	
5	Ministry of Environment Forest and Climate Change	Conservation of Natural Resources and Ecosystem	
6	Department of Agriculture & Farmers Welfare	Rashtriya Krishi Vikas Yojna	
7		Krishionnati Yojana	
9	Department of Animal Husbandry and Dairying	Development Programmes	
		Livestock Health and Disease Control Programme (LHDCP)*	
10	Department of Food and Public Distribution	Assistance to States Agencies for Intra-State Movement of Foodgrains and FPS Dealers Margin under NFSA	
11	Ministry of Food Processing Industries	Prime Minister Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM FME)	
12	Department of Health and Family Welfare	Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM ABHIM)	
13		**Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Program and National urban Health Mission**	
14		**Human Resources for Health and Medical Education**	
15	Ministry of Housing and Urban Affairs	AMRUT (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)	
16		Swachh Bharat Mission (SBM) - Urban	
17		Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY)	
18	Ministry of Law and Justice	Infrastructure Facilities for Judiciary	
19	Department of Rural Development	National Livelihood Mission - Ajeevika	
20		Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (Material & Admin Component)	
21		Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna	
22		Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) - Rural	
23	Department of School Education and Literacy	**Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN)**	
24	Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna	
25		Interlinking of Rivers	
26	Ministry of Home Affairs (Police)	Modernisation of Police Forces	
27	Ministry of Women and Child Development	Mission Shakti (Mission for Protection and Empowerment for Women)	
28	Department of Land Resources	Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna	

*The Scheme is currently listed as a Central Sector Scheme in the Budget documents. The scheme should be shifted to Centrally Sponsored Schemes category as recommended by EFC in its meeting held on 12.08.2024.

FORM FOR REGISTRATION OF SSM(for creation of login ID)

Department : ----------

Name : ----------

Designation : ----------

Email ID : ----------

Mobile No. : ----------

Scheme Details : Central Scheme ----------

SSL Code ----------

RBI A/C for

CSS Code Name	SLS Code Name	RBI A/C No.	IFSC Code

Signature